

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०/१८

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो उपस्थान विहार अखाड़ी 2. वर्तमान धारित पद कृषक-कृषक

(15)

3. वर्तमान वेतन 29700 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2018

क्रम क्रि. सं.	उप संख्या का नाम	संपत्ति का नाम तथा स्त्री	वर्ग संख्या	वर्ग संख्या	वर्ग संख्या	वर्ग संख्या	वर्ग संख्या	वर्ग संख्या	वर्ग संख्या
(1)					यदि स्वयं के नाम पर न हो तो नगलान्तरी कि वह किसके नाम पर धारित है और नगलान्तरी शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया है * * * * * खरीद, पट्टा, वक्षक, विरासत, देना या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्त्री	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त	
	श्याम-देवेन्द्र	घर	15000	100000	संयुक्त परिवार	विरासत से प्राप्त	25000	कृषक	
	श्याम-देवेन्द्र	घर	15000	100000	संयुक्त परिवार	विरासत से प्राप्त	25000	कृषक	

जहां लगान हो काट दीजिए।

* ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगाना मूल्य चालू किया जाए।

** इसमें अन्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्थात् प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य को उचित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चार सालों में अपनी की अवधि के परचाल यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करे।

उल्लेखित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चार सालों में अपनी की अवधि के परचाल यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करे।

यदि या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित नगलान्तरी अर्जित सम्पत्ति के विवरण के लिए दें।

नाम उपस्थान विहार अखाड़ी
 पता कृषक-कृषक
 अधिकारी/कर्मचारी का नाम कृषक-कृषक